Regarding Compensation to farmers of Bhiwani and Dadri

श्री धर्मबीर सिंह **(**भिवानी**-**महेन्द्रगढ़**):** मैं आपका ध्यान, मेरे लोक सभा क्षेत्र के भिवानी व दादरी में किसान कुछ समय से धरने पर बैठे हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । भारत सरकार का एक बहुत बड़ा और अच्छा फैसला है, जिसमें फसल बीमा योजना के तहत किसानों को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई की जाती है । हमारे प्रदेश में इस योजना का बहुत फायदा मिला । परंतु खरीफ 2023 के दौरान कपास फसल बीमा क्लेम निर्धारण करने में जानबूझ कर फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक आंकड़ों को नकारते हुए गैर-कानूनी तरीके से तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली को अपनाया गया । इससे पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी रिकमंड करके भेजा था, लेकिन बाद में निर्णय, जब हरियाणा में चुनाव का दौर था और आचार संहिता लगी हुई थी तो 20 अगस्त, 2024 को स्टेट टेक्निकल एडवाइज़र के नाम पर किया गया, जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था । उस बैठक को बिना कोरम के आयोजित बताया गया । इससे हमारे भिवानी और दादरी में कपास के किसानों का लगभग 300 करोड़ रुपये, जिसमें स्टेट और सेंटर का शेयर था, वह क्षेमा कम्पनी थी, जो दक्षिण भारत में वर्ष 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी, वह उस पैसे को लेकर चली गयी । मेरी कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि किसानों का पैसा तुरंत दिलवाया जाए और उस कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए ।